न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलिया

जी.आर.सं0 – 6740/15

राज्य बनाम मो0 इरशादुज्जमा

28/09/2020 अभियुक्त मो0 इरशादुज्जमा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्रीराम सिंह के द्वारा एक जमानत आवेदन साथ नवीनशक्ति पत्र दाखिल किया गया। आवेदन की एक प्रति सहायक अभियोजन को दी गई। जमानत आवेदन को वीडियों कॉफ्रेंसिंग के द्वारा प्रचालित किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है और आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया गया है। जिस तरह का मुकदमा किया है मनगढंत एवं झूठा है। यह कि आवेदक के द्वारा बी.ए या ए.बी.ए इस वाद का आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में न ही अपर न्यायालय में दाखिल किया गया है। यह कि अभियुक्त पर लगाये गये धाराएं– 461, 379, भा0द0वि0 हैं। यह कि अभियुक्त पैरवी हेतु पैरवीकार पर निर्भर रहता था। यह कि पैरवीकार के द्वारा पैरवी छोड़ देने के कारण अभियुक्तों का दिनांक– 06/10/2018 को बंध पत्र खंडित हो गया। यह कि अभियुक्त दिनांक– 17/09/2020 से मंडलकारा में बंद है। यह कि अभियुक्त भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। यह कि अभियुक्त श्रीमान् के द्वारा दिये गये निर्देशों को पालन करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है। यह कि अभियुक्त दिनांक– 17/09/2020 से मंडलकारा में बंद है। यह कि अभियुक्त पर लगाए सभी धाराएं– 461, 379, भा0द0वि0 हैं।

अतः तथ्य और परिस्थतियों को देखते हुए कोरोना महामारी एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए। अभियुक्त को मो0 5,000 (पॉच हजार रूपया) के एक जमानतदारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

प्र0 न्यायिक दंडाधिकारी